न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 99/2024

निर्णय दिनांक :– 14.06.24

मैना देवी पत्नी मनीराम नाथ जाति जोगी निवासी सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–(1) राजपैरोकार वास्ते अप्रार्थी।

–: निर्णय :–

प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 201 तादादी 03.6671 हैक्टेयर रोही ग्राम सोमसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है, जो प्रार्थिनी की खातेदारी कृषि भूमि है। यही विवादित भूमि है।

प्रार्थिनी की उक्त खसराजात की कृषि भूमियों की सींव के पुख्ता सीमा चिन्ह थे, जो प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समाप्त हो गए है। प्रार्थी अपने कब्जे काश्त की भूमि पर ही काश्त करता आ रहा है, जबकि अव उक्त पुराने सीमा चिन्ह नष्ट होने के बाद पडौसी खातेदारों से प्रार्थी का सीमा विवाद होने की आशंका है।

प्रार्थी द्वारा अपने पडौसी काश्तकारों को अपनी–अपनी कृषि भूमियों की सीमाओं पर स्थाई चिन्ह लगवाने व पैमाईश करवाने को बार–बार कहा व कहलवाया तो वे आज कल आज कल करते रहे आखिर दिनांक 05.06.2024 को ऐसा मानने से बमुकाम जिगसाना ताल में साफ इंकार कर दिया अतः यही तारीख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण व आधार है तथा पैमाईश करवाकर पुख्ता सीमा चिन्ह प्रार्थी की कृषि भमि की सीमाओं पर कायम करवाये जाने के आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। आदि–आदि।

इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त भूमि के सीमाओं के सीमा चिन्ह कायम कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित। उन्होने जाहिर किया कि प्रकरण में राज्यहित प्रभवित नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

बहस प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थिनी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। प्रार्थी की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिनी खेत खसरा संख्या 201 तादादी 03.6671 हैक्टेयर रोही ग्राम सोमसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू का रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थी अपने खेत की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर सीमा चिन्ह करवाना चाहते है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं।

वर्णित विवेचन से प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाकर है तथा प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 201 तादादी 03.6671 हैक्टेयर रोही ग्राम सोमसीसर तहसील तारानगर के सीमाचिन्ह राजस्व नक्शा के मुताबिक कायम कराने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार तारानगर को आदेशित किया जाता है कि वह पैमाईश में दक्ष कार्मिकों टीम गठित कर स्वयं या नायब तहसीलदार के निर्देशन में पडौसी खातेदारों को उपस्थिति का अवसर देते हुये उक्त खेत के सीमाचिन्ह कायम करावे। समस्त खर्चा प्रार्थिनी वहन करेगा। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावें।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

निर्णय आज दिनांक 14.06.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

नोट:- आदेश दिनांक 3/7/24 द्वारा निर्णय में अंकित ख० नं० 849/640 पढ़ा जाने 201 के स्थान पर ख० नं० के आदेश पारित किये गये हैं।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)